अनुदान संख्या 61 – विधि और न्याय
GRANT No. 61–LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	872,92,00	872,95,00	673,23,23	–199,71,77
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				154,93,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		3,00	55	–2,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	30345.00	23941.00	21047.80	–2893.20
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–6405.00			
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	42874.00	35380.00	35342.70	–37.30
पु.	R.	–7494.00			
मुख्य शीर्ष "2020" आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	4104.00	2497.00	2473.19	–23.81
पु.	R.	–1607.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas				
मू.	O.	2040.00	. .	. .	. .
पु.	R.	– 2040.00			
मुख्य शीर्ष "3601''	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4360.00	6379.00	5029.11	–1349.89
पु.	R.	2019.00			

(I) 3461.50 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3260.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.3461.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in December, 2006) remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.3260.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2014'' -- ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी'' - 180.00 लाख रु. पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण थे।

(A) Major Head "2014" – "Other Expenditure - National Judicial Academy" – Rs.180.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous years.

(खा) मुख्य शीर्ष "2020'' - ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय कर अधिकरण'' - 1040.00 लाख रु. उच्चतम न्यायालय के सामने मामला न्यायाधीन होने से अधिकरण की स्थापना न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2020" – "Direction and Administration-National Tax Tribunal" – Rs.1040.00 lakhs – due to non-setting up of the Tribunal, matter being sub-judice before Supreme Court.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552'' - ''न्याय प्रशासन - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान'' - 2040.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "2552" – "Administration of Justice – Grants for Infrastructural Facilities for Judiciary" – Rs.2040.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2014'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सिविल और सत्रा न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट''- 3907.34 लाख रु. की बचत (14200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण'' - 5395.00 लाख रु. की बचत (13795.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिामंडल समिति द्वारा स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2015'' - "अन्य व्यय - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर व्यय'' के अंतर्गत 7500.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कम अधिप्राप्ति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2020'' - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण'' के अंतर्गत 590.81 लाख रु. की बचत (3064.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान 90 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014'' - "विधि सलाहकार और परामर्शदाता - विधि कार्य विभाग'' -285.94 लाख रु. का अधिक व्यय (1070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चतम न्यायालय में एकीकृत मुकदमा अभिकरण द्वारा चल रहे मुकदमों में वृद्धि होने और साथ ही इसके लोक जमा लेखा के जारी न रहने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "2014" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Civil & Sessions Courts – Fast Track Courts" – saving of Rs.3907.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from some State Governments.

(B) "Other Expenditure – Computerisation of District and Subordinate Courts" – saving of Rs.5395.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13795.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to late approval of the scheme by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(III) Under Major Head "2015" – "Other Expenditure – Expenditure on Electronic Voting Machines" – saving of Rs.7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to less procurement of electronic voting machines.

(IV) Under Major Head "2020" – "Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal" – saving of Rs.590.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3064.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims towards medical reimbursement and economy measures.

(V) Under one head saving of Rs.90.00 lakhs occurred constituting 90 per cent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" – "Legal Advisors and Counsels – Department of Legal Affairs" - excess of Rs.285.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1070.00 lakhs) was due to increased litigation being handled by Unified Litigation Agency in the Supreme Court and also on account of the discontinuance of its Public Deposit Account.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान''- 759.11 लाख रु. का अधिक व्यय (4260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष 2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grants for infrastructural facilities for Judiciary" – excess of Rs.759.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4260.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 2.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष 4070'' - ''अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4070" – "Capital Outlay on other Administrative Services" and was eventually surrendered.